



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2010/श्रावण 8, 1932

No. 213]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2010/SHRAVANA 8, 1932

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2010

सं. 12018/6/2005-बी.सी.सी.—भारत सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8 सितम्बर, 1993 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले केन्द्र सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां आरक्षित की हैं।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) के उपबंधों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूचियों में शामिल करने के अनुरोधों तथा अधिक शामिल करने और कम शामिल करने की शिकायतों को प्राप्त करने, जांचने और उनकी सिफारिश करने के लिए की गई थी।

3. इस संबंध में 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को कल्याण मंत्रालय के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. (सी), दिनांक 10 सितम्बर, 1993; सं. 12011/9/94-बी.सी.सी., दिनांक 19 अक्टूबर, 1994; सं. 12011/7/95-बी.सी.सी., दिनांक 24 मई, 1995; सं. 12011/99/94-बी.सी.सी., दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के तहत अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त सूचियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था और समय-समय पर संकल्प सं. 12011/96/94-बी.सी.सी. दिनांक 9 मार्च, 1996; सं. 12011/44/96-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1996; सं. 12011/13/97-बी.सी.सी., दिनांक 3 दिसम्बर, 1997; सं. 12011/68/98-बी.सी.सी., दिनांक

2996 GI/2010

27 अक्टूबर, 1999; सं. 12011/88/98-बी.सी.सी., दिनांक 6 दिसम्बर, 1999; सं. 12011/36/99-बी.सी.सी., दिनांक 4 अप्रैल, 2000; सं. 12011/44/99-बी.सी.सी., दिनांक 21 सितम्बर, 2000; सं. 12015/9/2000-बी.सी.सी., दिनांक 6 सितम्बर, 2001; सं. 12011/1/2001-बी.सी.सी., दिनांक 19 जून, 2003; सं. 12011/4/2002-बी.सी.सी., दिनांक 13 जनवरी, 2004; सं. 12011/9/2004-बी.सी.सी., दिनांक 16 जनवरी, 2006 तथा सं. 12011/14/2004-बी.सी.सी., दिनांक 12 मार्च, 2007 के तहत अधिसूचित किया गया था।

4. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तदन्तर बिहार से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करने अथवा संशोधन करने के लिए जाति और समुदाय (उपजातियों एवं पर्यायों सहित) की सिफारिश की है।

5. सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, उपर्युक्त राज्य से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में, परिशिष्ट में दिए गए अंतर्वेशन/संशोधनों को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ये अंतर्वेशन अथवा संशोधन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

बिहार राज्य के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अंतर्वेशन :

क्रम संख्या	राज्य का नाम	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	बिहार	132. शून्य	132. अदरखी

(1)

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE  
AND EMPOWERMENT**

**RESOLUTION**

New Delhi, the 30th July, 2010

**No. 12018/6/2005-BCC.**—The Government of India, *vide* the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) OM No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated the 8th September, 1993 has reserved 27% of vacancies in Civil Posts and Services under the Central Government, to be filled through direct recruitment in favour of the Other Backward Classes (OBCs).

2. The National Commission for Backward Classes (NCBC) was set up as per the provisions of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993) to entertain, examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the Central Lists of OBCs.

3. The Common Central List of OBCs in request of 26 States and Union Territories were notified *vide* Ministry of Welfare, Resolution No. 12011/68/93-BCC (c), dated the 10th September, 1993; No. 12011/9/94-BCC, dated the 19th October, 1994; No. 12011/7/95-BCC, dated the 24th May, 1995; No. 12011/99/94-BCC, dated the 11th December, 1997. The said lists were modified on the basis of the recommendations of the NCBC and notified from time to time *vide* Resolutions No. 12011/96/94-BCC, dated the 9th March, 1996; No. 12011/44/96-BCC, dated

the 6th December, 1996; No. 12011/13/97-BCC, dated the 3rd December, 1997; No. 12011/68/98-BCC, dated the 27th October, 1999; No. 12011/88/98-BCC, dated the 6th December, 1999; No. 12011/36/98-BCC, dated the 4th April, 2000; No. 12011/44/99-BCC, dated the 21st September, 2000; No. 12015/9/2000-BCC, dated the 6th September, 2001; No. 12011/1/2001-BCC, dated the 19th June, 2003; No. 12011/4/2002-BCC, dated the 13th January, 2004; No. 12011/9/2004-BCC, dated the 16th January, 2006 and No. 12011/14/2004-BCC, dated the 12th March, 2007.

4. The NCBC has subsequently recommended caste and communities (including sub-castes and synonyms) for inclusion or amendments in the Central Lists of OBCs in respect of Bihar.

5. The Government has considered and accepted the recommendations of the Commission. Accordingly, the addition in the Central Lists of OBCs in respect of aforesaid State as given in the Appendix is hereby notified. These inclusion or amendments shall take effect from the date of issue of this Resolution.

P. P. MITRA, Jt. Secy.

**APPENDIX**

Inclusion in the Central List of Other Backward Classes (OBCs) in respect of State of Bihar :

Sl. No.	Name of the State	Old Entry	New Entry
1.	Bihar	132. Nil	132. Adrakhi